(118)

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.
केम्प भोपाल

हवीब खान आयु करीब 53 वर्ष III / निगरानी / सीहोर / भू.रा. / 2017 / 2185
वल्द पीर खान निवासी–शाहगंज
तहसील बुधनी जिला सीहोर———————————————————वादी

बनाम

1. अशोक कुमार साहू आत्मज सुखलाल साहू
निवासी–ग्राम शाहगंज तहसील बुधनी जिला सीहोर

2. श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय शाहगंज
कार्यालय नायब तहसीलदार शाहगंज टप्पा
तहसील शाहगंज जिला सीहोर———————————————————प्रतिवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. :–

याचिकाकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय बुदनी जिला सीहोर द्वारा राजस्व प्रकरण क्र.11/अ–70/14–15 में पारित आदेश दिनांक 30/06/2017 जिसके पक्षकार अशोक कुमार साहू बनाम हबीब खान में है, से क्षुब्द एवं व्यथित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है :–

//प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य//

1. यह कि उत्तरवादी क्र.1 की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 250 म.प्र.भू.रा.सं. के अधीन याचिकाकर्ता के विरूद्ध सर्वे नं. 164/6 रकबा 0.014 हे. के भाग के संबंध में प्रस्तुत किया गया, जिसमें न्यायालय नायब तहसीलदार शाहगंज द्वारा प्रकरण दिनांक 18/05/2015 को पंजीबद्ध किया गया एवं प्रकरण दिनांक 29/05/2015 को सूचना पत्र हेतु नियत किया गया इसके पश्चात दिनांक 29/05/2015 को प्रकरण पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में बढ़ाया गया एवं दिनांक 04/06/2015 को नियत किया गया, प्रकरण में दिनांक 04/06/2015 को पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर होन के कारण प्रकरण दिनांक 09/06/2015 हेतु बढ़ाया गया, दिनांक 09/06/2015 को पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर होने से प्रकरण 12/06/2015 को नियत किया गया। दिनांक 12/06/2015 को प्रकरण में इस याचिकाकर्ता के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई एवं प्रकरण दिनांक 17/06/2015 को नियत कर दिया गया। दिनांक 17/06/2015 को अनावेदक साक्षियों के कथन अंकित किये गए एवं प्रकरण दिनांक 29/06/2015 को नियत किया गया एवं दिनांक 29/06/2015 को राजस्व निरीक्षक के कथन लिये जाकर प्रकरण दिनांक 10/07/2015 को नियत कर दिया गया एवं इसी मध्य बिना दिनांक को प्रकरण में आदेश पारित कर इस याचिकाकर्ता के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया। तथा दिनांक 23/07/2016

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / सीहोर / भू.रा. / 2017 / 2185

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25—7—17	आवेदक के अधिवक्ता श्री दिलीप श्रीवास्तव उपस्थित होकर अनुविभागीय अधिकारी बुदनी जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 11 / अ—70 / 2014—15 में पारित आदेश दिनांक 30.6.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2—आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक अशोक कुमार का सर्वे कंमांक 164 / 6 रकवा 0.014 है0 के भाग रोड की तरफ 23 कडी एवं पशिचम की तरफ 20 कडी पर आवेदक हबीब खान का अबैध कब्जा पाया गया । नायब तहसीलदार द्वारा धारा 250 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक को आदेश दिया गया कि कब्जा हटवाकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, लेकिन हबीब खान द्वारा कब्जा नहीं हटाने पर अनुविभागीय अधिकारी बुदनी को नायब तहसीलदार द्वारा धारा 250 के अन्तर्गत सिविल जेल की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किया। अनुविभागीय अधिकारी बुधनी द्वारा सूचना पत्र हबीब खान को दिनांक 6.6.17 को भेजकर दिनांक 30.6.17 उपस्थित होकर कारण बतलाने हेतु एवं सिविल जेल की कार्यवाही हेतु सूचित किया। 3— आवेदक को बारबार सूचना एवं चेतावनी देने के पश्चात भी उनके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया था जिससे अनुविभागीय द्वारा की जा रही कार्यवाही उचित प्रतीत होती है। अतः	

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / सीहोर / भू.रा. / 2017 / 2185 अनुविभागीय अधिकारी बुदनी जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 11 / अ–70 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30.6.17 उचित होने से हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं है। अतः आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य